129

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर खण्ड पीठ रीवा ﴾म0प्र0﴿

प्र0क्र0/ आर. ____________

[court fee stamps: 10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10; 5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5; 5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5]

RS0567-II/16

1- मुस. तिजौआ बिधवा धर्म पत्नी स्व. रामप्रयाग कुशवाहा उम्री लगभग 57 वर्ष ।
2- रामबदन कुशवाहा आत्मज स्व. रामप्रयाग कुशवाहा उम्रीलगभग 32 वर्ष ।
3- रामकिशोर कुश0 आत्मज स्व. रामप्रयाग कुशवाहा उम्री लगभग 28 वर्ष ।
4- राजेश कुमार कुशवाहा आत्मज स्व. रामप्रयाग कुशवाहा उम्री लगभग 25वर्ष

सभी का पेसा कृषि एवं नि0ग्राम मांजन राममनोहर थाना शाहपुर तहसील हनुमना जिला रीवा ﴾म0प्र0﴿ - - - - - - - - - - -आवेदक/निगराकारगण

बनाम

शासन म0प्र0 - अनावेदक /गैरनिग

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-रा0सं0

निगरानी बिरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक बृत्त खटखरी तहसील हनुमना जिला रीवा ﴾म0प्र0﴿ द्वारा प्र0क्र0/48/अ12/015-016 आदेश दिनांक 05-10-016 , ।

अधि0श्री आर.एस.शर्मा द्वारा पेश/04-02-17
क्लर्क/आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :--

﴾अ﴿- यह कि प्रश्नगत भूमि नं0 3/3, रकवा 0.53 ए0, ﴾0.214 हे0﴿ स्थित ग्राम मांजन राममनोहर के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी निगराकारगण के पूर्वज स्व. रामप्रयाग कुशवाहा एवं रामसुमेर पिता जगमोहन व श्री निवास पिता रामबिसाल कुशवाहा अभिलिखित हैं । जिसका नक्शा तरमीम व बटवारा एकसाथ न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डल पहाड़ी तहसील हनुमना जिला रीवा ﴾म0प्र0﴿ द्वारा जरिए प्र0क्र0/06/अ27/91-92 आदेश दिनांक 16-01-92 को किया गयाहै।

﴾ब﴿- यह कि उक्त नक्शा तरमीम अनुमोदन के बावजूद अवैधानिक रूप से हल्का पटवारी द्वारा नक्शे से बिलोपित कर दी गयी जिसकी जानकारी होने पर नक्शा सुधार का आवेदन पत्र दिया गया जो बतमान में न्यायालय

आर.एस. शर्मा अधिवक्ता
पंजीयन क्र. 1259/94
(एम.ए. एम.एड. एल.एल.बी.)
ग्राम जिला रीवा

पुक व नाम ... पटवारी ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5056–दो / 2016 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक खटखरी तहसील हनुमना जिला रीवा दारा प्रकरण क्रमांक 48 अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 5-10-16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाभाषक के प्रारंभिक तर्क सुनना चाहे, किन्तु उन्होंने अभिलेख के आधार पर निर्णय किये जाने की मंशा जाहिर की। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि स्व. रामप्रयोग कुशवाह के आवेदन पर ग्राम माजन राममनोहर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 3/3, एंव 23/4 का हलका पटवारी ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 21-5-16 को सीमांकन किया है, जिस पर मेढ़िया कास्तकारों को सूचना की गई है । किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 5-10-16 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है जिसके विरूद्ध यह निगरानी है। आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमो में आपत्ति अंकित है कि पटवारी द्वारा कोरे कागज में हस्ताक्षर अपने विश्वास में	

लेकर कराये है एंव झूंठा पंचनामा एंव फील्ड–बुक तैयार की गई है जबकि मौके पर सीमांकन किया ही नहीं गया है । विचार योग्य है कि यदि आवेदकगण पटवारी द्वारा किये गये सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं है तब वह भूमि का पुर्नसीमांकन अधीक्षक भू अभिलेख / सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–10–16 में हस्तक्षेप उचित नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव राजस्व निरीक्षक खटखरी तहसील हनुमना जिला रीवा दारा प्रकरण कमांक 48 अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 5–10–16 यथावत् रखा जाता है।

सदस्य